न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, कानपुर नगर।

वाद सं0–06 / 2024

मेसर्स हरिसन्स प्रोडक्ट प्रा0लि0 बनाम मेसर्स हरिराम पुरवार।

30.01.2026

पत्रावली प्रार्थनापत्र 70ग पर आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थनापत्र 70ग मय शपथपत्र 71ग पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

1. प्रार्थनापत्र 70ग अंतर्गत आदेश 08 नियम 10 सीपीसी में वादी के सुसंगत संक्षिप्त तथ्य है कि शपथकर्ता पंकज पुरवार मेसर्स हैरिसंस (इंडिया) प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत प्रतिनिधि है और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भलीभांति परिचित है। वादी ने इस वाद में प्रतिवादियों को उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने या उसका दुरुपयोग करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई है; और आदेश में प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने द्वारा भ्रामक ट्रेडमार्क के तहत बेचे गए माल से अर्जित लाभ का सही और सटीक हिसाब प्रस्तुत करें; और व्यवसाय शुरू होने की तारीख से 24% प्रति वर्ष की ब्याज दर सहित भुगतान करें। यह मुकदमा 20.05.2024 को दायर किया गया था। वादी द्वारा आदेश XXXIX नियम 1, 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए दायर आवेदन को कानपुर वाणिज्यिक न्यायालय के दिनांक 18.07.2024 के आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि:

"वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश ३९ नियम १ व २ सपठित धारा 151 सीपीसी कागज 6ग मय शपथपत्र 7ग पर प्रतिवादीगण को नोटिसें प्रेषित की गई। नोटिस तामील होने के बावजूद प्रतिवादिगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और ना ही उनकी तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। "

2. उपरोक्त अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बाद, वादी ने दिनांक 18.07.2024 की अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रति के साथ अभिलेख की एक प्रति 19.09.2024 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रतिवादी को पुनः भेजी। यह तथ्य वादी द्वारा दिनांक 07.10.2024 को आदेश XXXIX नियम 3 के अंतर्गत दिए गए आवेदन के माध्यम से रिकॉर्ड में लाया गया। प्रतिवादियों ने क्रमशः 25.10.2024 और 14/19.10.2024 को आदेश VII नियम 11 और आदेश XXXIX नियम 4 के तहत उपस्थिति दर्ज कराई और अपने मूल आवेदन दाखिल किए। तदनुसार, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी को मुकदमे की वास्तविक सामग्री की पर्याप्त सूचना 14/19.10.2024 तक मिल चुकी थी।

3. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V नियम 1(1) और आदेश VIII नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, प्रतिवादी को समन की तामील की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करना आवश्यक था, जिसे समन की तामील की तारीख से अधिकतम 120 दिनों तक बढ़ाया जा सकता था। उपर्युक्त अधिकतम 120 दिनों की अवधि, अधिक से अधिक, 16 फरवरी, 2025 को समाप्त हो गई थी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि 16 फरवरी, 2025 को ओ.एस. 6/2024 अभी भी कानपुर नगर वाणिज्यिक न्यायालय में लंबित था और प्रतिवादियों द्वारा तब तक कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया. प्रतिवादी अब दिनांक 08.2025 का अपना लिखित बयान दाखिल करना चाहता है, जो स्पष्ट रूप से 120 दिनों की अनिवार्य अवधि से परे है। यह स्थापित कानून है कि वाणिज्यिक विवादों में लिखित बयान दाखिल करने की यह 120-दिन की अवधि अनिवार्य है, निर्देशात्मक नहीं, और अदालतों के पास इस अवधि को बढ़ाने का कोई विवेक नहीं है। यह भी स्थापित कानून है कि आदेश VIII नियम 10 का परंतुक न्यायालय को नियम 1 के तहत लिखित बयान दाखिल करने के लिए प्रदान की गई समय सीमा को 120 दिनों से आगे बढ़ाने का कोई आदेश देने से रोकता है।

4. उपर्युक्त कथन और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित विधिगत स्थिति के आलोक में, प्रतिवादी द्वारा 120 दिनों की अवधि के बाद दाखिल किया जाने वाला लिखित बयान अभिलेख में नहीं लिया जा सकता है, और प्रतिवादी ने इसे दाखिल करने का अपना अधिकार खो दिया है। अपने

कथन के समर्थन में वादी की ओर से पूरक शपथपत्र कागज सं0–88ग प्रस्तुत किया गया है।

5 प्रतिवादी की ओर से आपत्ति 76ग मय शपथपत्र 77ग प्रस्तुत कर संक्षिप्त में कथन किया है कि वादी के हलफनामे के पैरा संख्या 3 में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि वादी ने न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 18.07.2024 का कोई आदेश इस पैरा में उल्लिखित नहीं है। प्रतिवादी को बीएनएसएस, 2023 की धारा 379 के तहत उचित कार्रवाई हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार सुरक्षित है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 7 के तहत न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दिए गए कारणों से संतुष्ट होकर और यह देखते हुए कि उस पर कभी भी विधिवत रूप से कोई समन तामील नहीं किया गया था, प्रतिवादी को वाद पर आपत्तियां और उत्तर दाखिल करने तथा आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी। वादी के हलफनामे के पैरा संख्या 4 में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार किया जाता है। वादी ने न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं। दिनांक 18.07.2024 का कोई आदेश इस पैरा में उल्लिखित नहीं है।

6. अपना लिखित बयान दाखिल करने में असमर्थ होने के कारण, प्रतिवादी ने सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष अपने विरुद्ध पारित एकतरफा आदेश को रद्द करने हेतु आवेदन किया और आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत उसके आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे अपना लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। वादी के हलफनामे के पैरा संख्या 6 में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार किया जाता है। कार्यवाही की मात्र जानकारी को समन की वैध तामील नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी पर कभी भी समन की विधिवत तामील नहीं की गई है। वादी के हलफनामे के पैरा संख्या 7 में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार किया जाता है। लिखित बयान दाखिल करने की समय सीमा प्रतिवादी पर समन की वैध तामील की तारीख से ही शुरू होती है, जो अभी तक नहीं हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के तहत प्रतिवादी के आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन के संबंध में अपना लिखित बयान और आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी।

7. लिखित बयान दाखिल करने की अवधि की गणना इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि से ही की जाएगी। वादी के हलफनामे के पैरा संख्या 8 और 9 में उल्लिखित तथ्यों को अस्वीकार किया जाता है। यह सत्य है कि प्रतिवादी को कानून के अनुसार समन तामील नहीं कराया गया था और न ही प्रतिवादी को आज तक समन प्राप्त हुआ है। दिनांक 12.12.2024 के आदेश के बाद, माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत 120 दिनों की समाप्ति से पहले दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए मुकदमे का निपटारा कर दिया। इसके बाद, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मामले को इस माननीय न्यायालय को वापस भेजे जाने पर, प्रतिवादी ने बिना किसी देरी के आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत अपना लिखित बयान और आपत्तियां दाखिल कीं। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया लिखित बयान निर्धारित समय सीमा के भीतर है और इसे अभिलेख में शामिल किया जाना चाहिए।

8. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 के परंतुक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, 120 दिनों की अवधि की गणना केवल समन की वैध तामील की तिथि से ही की जा सकती है। चूंकि प्रतिवादी पर आज तक ऐसी कोई वैध तामील नहीं की गई है, इसलिए उक्त अवधि की गणना केवल माननीय न्यायालय के दिनांक 12.12.2024 के आदेश से ही की जा सकती है। अतः, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान निर्धारित समय सीमा के भीतर है और इसलिए इसे अभिलेख में लिया जाना चाहिए तथा वादी द्वारा धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पढ़े गए आदेश 8 नियम 10 के अंतर्गत दायर आवेदन को खारिज किया जाए।

9- पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा यह तर्क उठाया गया है कि आदेश 05 नियम 1 (1) व आदेश 08 नियम 01 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के पास वादपत्र के संबंध में प्रतिवादपत्र दाखिल करने की समयावधि तीस दिन है और यदि वह इस तीस दिन की अवधि के अंतर्गत प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं कर सका, तब ऐसी

स्थिति में उचित कारण प्रदर्शित करते हुए न्यायालय की अनुमति से प्रतिवादपत्र समन की तामीला की तिथि से 120 दिन के अंदर दाखिल कर सकता है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त 120 दिन की अवधि के अंदर प्रतिवादपत्र दाखिल नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपना प्रतिवादपत्र दाखिल करने का अवसर खो दिया है। उनके द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र अभिलेख पर सम्मिलित नहीं किया जा सकता है और अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्याय निर्णय प्रस्तुत किये गए हैं–

1. Bank of Baroda Vs. Union Bank of India 2022 SCC.
2. Marico Limited Vs. K.L.F. Nirmal Industries Pvt. Ltd. 2023 SCC.
3. SCG Contracts (India) Private Limited Vs. K.S. Chamankar Infrastructure Limited and others. (2019) 12 SCC.
4. R.K. Roja Vs. U.S. Rayudu and another (2016) 14 SCC.
5. Jairaj Devidas and others Vs. Hirabhaishinwar Jadhav and others 2021 SCC.
6. Dover Park Builders Pvt. And others Vs. Smt. Madhuri Jatan and others. 2002 SCC.
7. Borisil Glass Works Vs. O.P. Batra and Anr.
8. Marico Limited Vs. K.L.F. Nirmal Industries Pvt. Ltd. 2023 SCC.
9. Dhartipakar madan Lal Agarwal Vs. Rajiv Gandhi (1987) SCC.
10. Love Chauhan Vs. Ajay Kumar Kathuria 2021 SCC.

10. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी पर सम्मन का तामीला कभी प्रभावी नहीं हुआ है। उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करते हुए वादी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 39 नियम 01 व 02 सीपीसी स्वीकार किया गया। उसके उपरान्त प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए। तब उसकी ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 04 प्रस्तुत किया गया। साथ ही प्रतिवादीगण की ओर से आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिसके आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया गया। परिणामतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी ने प्रतिवादपत्र समयावधि के अंतर्गत दाखिल नहीं किया है। बल्कि प्रतिवादपत्र समयावधि के अंदर है। अतः वादी का प्रार्थनापत्र 70ग निरस्त किया जाए।

11. प्रार्थनापत्र के निस्तारण के संबंध में इस वाद के बाबत न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथियों पर किये गए उपक्रम का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

क्रमांक	दिनांक	उपक्रम
1.	29.05.2024	वाद संस्थित
2.	07.06.2024	प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 की सुनवाई के लिए नियत।
3.	24.06.2024	प्रतिवादीगण को समन व नोटिस निर्गत
4.	31.07.2024	प्रतिवादीगण को पुनः समन निर्गत
5.	12.08.2024	पुनः समन निर्गत
6.	04.09.2024	प्रतिवादीगण पर तामीला प्रभावी माना गया
7.	18.09.2024	प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 01 व 02 एकपक्षीय रूप से स्वीकृत।
8.	27.09.2024	प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा दाखिल।
9.	07.10.2024	आदेश 39 नियम 03 के अनुपालन में शपथपत्र वादी की

		ओर से दाखिल व प्रतिवादी की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 दाखिल।
10.	15.10.2024	आदेश 39 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रतिवादी की ओर से दाखिल किया गया।
11.	25.10.2024	प्रतिवादी की ओर से आदेश आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।
12.	12.12.2024	प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 07 सीपीसी मु0–300/–रू0 हर्जे पर स्वीकृत एवं प्रतिवादीगण को प्रतिवादपत्र दाखिल करने के लिए निर्देश।
13.	25.02.2025	प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 स्वीकृत एवं वाद खारिज
14.	08.08.2025	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील सं0–09/2025, 10/2025, 11/2025 में पारित आदेश के अनुसार आदेश दिनांकित 25.02.2025 निरस्त किया गया।
15.	11.08.2025	प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा दाखिल किया गया।

12. आदेश 05 नियम 01 व 08 एवं वादी की ओर से प्रस्तुत किये गए न्याय निर्णय में सम्प्रेषित विधि के अनुसार प्रतिवादी के पास प्रतिवादपत्र दाखिल करने हेतु समयावधि 30 दिन उपलब्ध थे तथा 30 दिन की अवधि के अतिरिक्त प्रतिवादी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके प्रतिवादपत्र समन के तामीला से 120 दिन की अवधि के अंदर प्रतिवादपत्र दाखिल कर सकते हैं।

13. मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अुनसार प्रतिवादी द्वारा दाखिल प्रतिवादपत्र समयावधि से बाधित है अथवा नहीं। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पंजिका के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी पर समन/नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामीला प्रभावित नहीं हुआ है। बल्कि पंजिकृत डाक से नोटिस/समन प्रेषित किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि नोटिस के साथ वादपत्र एवं वाद के साथ संलग्न प्रपत्रों की प्रतिलिपि भी संलग्न करनी थी। परन्तु पत्रावली पर उपलब्ध डाक लिफाफा, जिसके आधार पर प्रतिवादीगण पर तामीला प्रभावित माना गया, में केवल नोटिस ही प्रेषित किया गया है, वादपत्र व संलग्न प्रपत्रों की प्रति संलग्न नहीं की गई। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी पर समन का तामीला सम्यक रूप से प्रभावित हुआ था।

14. इसके अतिरिक्त अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.10.2024 को आदेश 09 नियम 07 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2024 को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किये जाने का आदेश अपास्त किया गया और प्रतिवादी को प्रतिवादपत्र दाखिल किये जाने का निर्देश दिया गया तथा अग्रिम तिथि 19.12.20254 नियत की गई। अतः यह स्पष्ट होता है, चूंकि प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किये जाने का आदेश पारित किया गया था, इसलिए दिनांक 19.12.2024 से पूर्व प्रतिवादी को प्रतिवादपत्र दाखिल किये जाने का अवसर प्राप्त नहीं था। दिनांक 19.

12.2024 को प्रतिवादी की ओर से आदेश 07 नियम 11 के अंदर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया गया। तदोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में वाद को पुनर्स्थापित किया गया और वाद के पुनर्स्थापित हो जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण द्वारा अग्रिम नियत तिथि 11.08.2025 को अपने जवाबदावा दाखिल कर दिया गया। अतः प्रतिवादपत्र दाखिल किये जाने के लिए समयावधि की गणना दिनांक 19.12.2024 से ही की जाएगी। प्रतिवादी ने जो जवाबदावा दाखिल किया है, वह 120 दिन की अवधि के अंतर्गत ही दाखिल किया है और समयावधि से बाधित नहीं माना जा सकता है।

15. चूंकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया गया था। परिणामतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी ने प्रतिवादपत्र दाखिल किये जाने की अवधि को बढाए जाने के आशय से उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। बल्कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यहीं प्रकट होता है कि प्रतिवादी द्वारा दिनांक 19.12.2024 से 120 दिन की अवधि के अंतर्गत ही प्रतिवादपत्र दाखिल किया गया है। परिणामतः वादी की ओर से जो न्याय निर्णय प्रस्तुत किये गए हैं, वह वाद के तथ्यों से भिन्न हैं।

16. वादी की ओर से यह तर्क भी उठाया गया है कि प्रतिवादीगण को वादपत्र में किये गए अभिकथनों की जानकारी उसके द्वारा वकालतनामा दाखिल करने पर एवं प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत 39 नियम 04 पर ही हो गई थी। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि उसे दिनांक 19.12.2024 ये पूर्व वाद की जानकारी नहीं थी। यह तर्क विधि की दृष्टि से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रतिवादी को वाद की जानकारी, वादी के अनुसार इस तिथि से पूर्व हो गई थी, तब भी प्रतिवादी के पास दिनांक 19.12.2024 से पूर्व तक प्रतिवादपत्र दाखिल किये जाने का अवसर प्राप्त नहीं था। क्योंकि उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किये जाने का आदेश पारित किया हुआ था। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र 70ग निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 70ग निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण द्व ारा प्रस्तुत प्रतिवादपत्र पत्रावली पर सम्मिलित किया जाता है। पत्रावली वास्ते सुनवाई बाबत प्रार्थनापत्र 67ग एवं विवादक दिनांक 07.02.2026 को पेश हो।

जज कामर्शियल कोर्ट
कानपुर नगर।